THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY) : (a) and (b). As indicated in the reply of the Government in revised paragraphs of the Action Taken Report (ATR) on the report of the Joint Parliamentary Committee to enquire into irregularities in securities and banking transactions laid in the Parliament on 20th December, 1994, all identified scam related cases have been handed over to the CBI which has registered 48 cases involving 96 accused persons both from inside and outside the banking system. 76 persons have been chargesheeted and/or dealt with departmentally. Government also terminated the services of Chairman and Managing Director, UCO Bank, Managing Director, State Bank of India, Executive Director, Syndicate Bank and Executive Director, Bank of Maharashtra. Public sector banks and financial institutions have identified 107 officials for their involvement in irregularities in securities transactions and departmental action has been initiated according to the prescribed procedure.

A Special Court has been constituted by the Government to ensure speedy trial of scam related cases and to permit attachment of property of notified persons including all those whose names figured in various investigations.

An inter-disciplinary group has been constituted for coordinating the efforts in tracing the funds involved and assets created. Properties of notified persons amounting to Rs. 2910 crores (as on 30.11.1994) have been attached.

भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सुधार

203. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) भारतीय अर्थ-व्यवहस्था में सुधार के लिये विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा क्या सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) अपने सुझावों को मनवाने के लिये इन अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किस प्रकार दबाव डाले गये हैं ; और

(ग) इन सुझावों के आधार पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णयों का ब्यौरा क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ सहायता संबंधी समझौतों के दौरान विचारों का आदान-प्रदान हुआ और यह स्वाभाविक है कि इन समझौतों अथवा विचार-विमर्शों के दौरान कुछ सुझाव प्रकट हुए होंगे। हालांकि, नीति बनाना भारत सरकार का सर्वसत्ताधारी अधिकार है और इसलिये विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा कोई विदेशी एजेंसी अपने सुझावों को स्वीकार करने के लिये भारत सरकार को निर्देश नहीं दे सकती/कह नहीं सकती। सरकार ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि अपने राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखा जाता है और विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण पैकेज के विभिन्न घटक हमारी प्राथमिकताओं और नीतियों के अनुसार हैं।

छोटी जमा बचतों के लिए ब्याज दर

204. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1991 में छोटी जमा बचतों के लिये ब्याज की दर कितनी थी तथा इस संबंध में वर्तमान ब्याज दर कितनी है ;

(ख) क्या यह सच है कि बैंकों में छोटी जमा बचतों के लिये ब्याज दर में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) 10 अक्तूबर, 1990 से 1 नवम्बर 1994 की अवधि के दौरान बचत जमा राशियों पर देय ब्याज दरें निम्नलिखित हैं :—

प्रभावी तारीख	ब्याज दर (% वार्षिक)
10 अक्तूबर 1990 से 23 अप्रैल 1992	5.0
24 अप्रैल 1992 से 30 जून 1993	6.0
1 जुलाई, 1993 से अक्तूबर 1994	5.0
1 नवम्बर 1994 से—	4.5

मुद्रा स्फीति की दर में वृद्धि के संदर्भ में, अप्रैल 1992 में बैंक जमा राशियों पर ब्याज दरों को बढ़ाया गया था। तत्पश्चात् 1992–93 के दौरान मुद्रा स्फीति में प्रत्यक्ष कमी आई। इस कारण, बैंक जमा राशियों पर ब्याज दरों को धीरे-धीरे कम किया गया था। यह ध्यान में रखते हुए कि बचत जमा-राशियों के खातों का बड़ा भाग चालू खाते के रूप में उपयोग में आता है और यह कि जमा कर्ता अब 46 दिनों की नावधि जमा राशियों पर 7.0 से 8.0 प्रतिशत तक उच्च ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं। बचत खातों पर ब्याज दरों में कमी का बेहतर पता ऐसे खातों की प्रकृति से चलता है।

Lowering of interest rate by reserve Bank of India

205. **PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Will the Minister of FINANCE** be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India has lowered the interest rates;

(b) if so, details thereof and the reasons therefor;

(c) whether the banks have decided the rate of interest to be charged and if so, the details thereof, bank-wise;

(d) the effect of lowering the interest rates on saving bank accounts on the general public and the reaction of the people at large; and

(e) whether there is any proposal to withdraw the lowering of interest rate on the saving bank accounts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) to (c) The structure of interest rates on deposits and advances of scheduled commercial banks announced by Reserve Bank of India (RBI) on October 17, 1994 is set out below:

(I) DEPOSITS

(A) DOMESTIC :	**Old Rate**	**New Rate**	**Effective Date**
	(Per cent Per annum)		
Savings	5.0	4.5	1.11.94
(B) Non-residents external rupee account (NRE) :			
Term deposits (6 months to 3 years and above)	Not exceeding 10.0	Not exceeding 8.0	18.10.94
Savings	5.0	4.5	1.11.94